NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 1999

S.O. 464(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (6) of section 6 and clause (a) of sub-section (7) of section 7 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976), the Central Government hereby extends the Oil Fields Regulation and Development Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959 framed thereunder to the continental shelf or, as the case may be, to the Exclusive Economic Zone of India.

[No. L-111/13/97]
T. L. GILL, Director (Legal and Treaties)

IndiaCode

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 1999

का. आ. 464(अ).— केन्द्रीय सरकार राज्य क्षेत्रीय सागर खंड महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 6 की उपधारा (6) के खण्ड (क) और धारा 7 की उपधारा (7) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेल क्षेत्र विनियम और विकास अधिनियम 1948 (1948 का 53) तथा उसके अधीन बनाए गए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 का विस्तार यथास्थिति भारत के महाद्वीपीय मग्नतट भूमि या अनन्य आर्थिक क्षेत्रों तक करती है ।

[सं. एल. 111/13/97]
टी. एल. गिल, निदेशक (विधि एवं संधि प्रभाग)